- ✓ यूनियन द्वारा श्रम विभाग में घरेलू कामकाजी महिलाओं को अलग -अलग कार्य की रेट लिस्ट बनाकर सौंपी गयी जिसे वे अपने कमैटी मेम्बर के सामने रखकर विचार विमर्श कर सकें ताकि वे जल्दी ही मध्य प्रदेश में भी घरेलू कार्य की दर तय कर सके क्योंकि घरेलू कामकाजी को उचित वेतन व न्यूनतम मजदूरी तय हो जिससे मिलने से कामकाजी महिला की आर्थिक स्थिति मे भी सुधार होगा।

झूठे चोरी के इल्जाम से कामकाजी के लड़को को थाने से बचाया

ट्रेड यूनियन से जुड़ी सावित्री विश्वकर्मा घरेलू कामकाजी महिला की साई कृपा कॉलोनी में रहती है और बँगले पर पिछले 5 वर्ष से काम कर रही है वह साँई कृपा कालोनी में मीना मेडम के घर पर साफ सफाई का काम करती है और उसका बेटा रोहित जो कि रात में जिस घर में चोकेदारी करने के लिये जाता है उस घर में चोरी हो गयी। तब एनिमेटर फासीना ने पुलिस थाने जाकर कहा कि अगर वह मुजरिम है तो आगे की कारवाई की जाये और अगर वह मुजरिम नही है तो उन्हे छोड दीजिए तब पुलिस से काफी चर्चा के बाद रात 12 बजे दोनो लडको को छोडा गया क्योंकि सिर्फ शक के कारण ही दोनो बच्चो को 2 दिन से पकडकर रखा गया था जिसके लिये संगठन ने कामकाजी महिला की मदद की।

प्राचार्य ने रोका घरेलू कामकाजी का वेतन

25 फरवरी को घरेलू कामकाजी ने संगठन ऑफिस मे आकर बताया कि मैडम मै स्कूल की प्राचार्या मैडम के घर पर काम करती थी पर उन्होने काम पर रखने से पहले घरेलू कामकाजी का अनुबन्ध पर साईन लिया और पुलिस में रिपोर्ट करने की बात कही तो मेडम ने घरेलू कामकाजी को धमकी दी कि अगर दुबारा तुम पैसे माँगने के लिये यहाँ आयी तो मेरा भाई विधायक है उसे बोलकर पुलिस के डंडे लगवाउँगी। जब मैंने मालिक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवायी तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट तो लिखी पर यह भी कहा "क्यों तुम रूपये लेना चाहती हो -छोड दो, उसका भाई तो विधायक है गोली मार वार देंगे"। यूनियन ऑफीस से एनिमेटर फासीना ने इस केस को लिया स्कूल की प्राचार्य से बातचीत कर वेतन दिलवाया इस पूरे केस मे यह निष्कर्ष सामने आया कि गलती मालिक की ही नहीं, कभी -कभी घरेलू कामकाजी की भी होती है अगर ठीक समय पर यूनियन एनिमैटर ने कार्यवाही व हस्तक्षेप नही किया होता तो केस कोर्ट कचहरी तक भी चला जाता।

बच्चों से मजदूरी न करवायें

27 मई को कलेक्टर ऑफिस में महिला एवं बाल विकास आयोग में मि. बी.पी.एस. राठौर जी व जिला कार्यक्रम अधिकारी मि.सी.एल.पासी को संगठन से जुड़े बच्चो के द्वारा "नये कानून मे 14 वर्ष से बच्चों को कार्य में शामिल करना अपराध है" परंतु ज्ञापन दिया गया- क्योंकि इससे बच्चो की पढाई पर बुरा असर पडता है इस विषय पर बच्चो से विचार विमर्श किया गया – पढाई करते हुये अगर वे कार्य करने जाते हैं तो कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है सम्बन्धित विषय पर विस्तार से बात चीत की गई।

National Office :
National Domestic Workers Movement
104/A, St. Mary's Apts., Nesbit Road,
Mazageon, MUMBAI - 400 010
e-mail : ndwm@vsnl.com

राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी संगठन (म.प्र.)

IT'S ME

IDWS
पहचान बनाए मेरी

इस आन्दोलन में सहयोग हेतु संपर्क करें :-

म.प्र. घरेलू कामकाजी ट्रेड यूनियन
58, ओल्ड सिहोर रोड,
घार कोठी, इन्दौर - 452 001 (म.प्र.)
मोबाइल : 96448 89171
e-mail : indoredws@rediffmail.com

कामकाजी नारी कभी न हारी

ईश्वर ने मनुष्य के सभी अंगो को एक दूसरे के सहायक बना कर मानवजाति का विकास किया है। जिस तरह मनुष्य की आँखे देखने के लिये, कान सुनने के लिये - इस तरह हर एक अंग को अपने कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। हर क्षेत्र में हर एक महिला व पुरुष के लिये अलग - अलग कार्य को सौंपा गया जिसमें एक कामकाजी महिला भी है जो अपने स्वयं के दैनिक कार्य करने के बाद अन्य घरों में सफाई कार्य जैसे झाड़ू - पोंछा, बर्तन ,कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने ,बच्चों व बुजुर्गों की देखभाल का कार्य करती है। इनका कार्य भी कार्य है क्योंकि कामकाजी के कार्य से अन्य लोगों के कार्य में भागीदारी होती है अगर ये अन्य घरों में कार्य करना छोड दे तो क्या वे अपना समय अन्य क्षेत्रो मे दे पाएँगी।

- सिस्टर रोसीली एस.एस.पी.एस
निर्देशिका

"जन्म लेते ही मार दिया जाता है मुझे,क्यों छीन लिया जाता है, मुझसे जीने का अधिकार ? माँ ने जन्म देकर मुझे बचा लिया तो, कहाँ दिया जाता है, मुझे बढने का अधिकार ? मै पैदा हुई तो घर का काम करूँ, और भाई को कर्जा करके के भी पढाया जाये , क्यें छीना जाता है मुझसे पढने का अधिकार ? समाज क्यों बार-बार मेरी ही इज्जत को करता रख है तार - तार,क्यों नही दिया जाता मुझे सुरक्षा का अधिकार ? है मुझे अधिकार ? था मुझे अधिकर ? लेकर रहूँगी मै अपने अधिकार ? नही दिया मेरा अधिकार तो अब छीन लूँगी मै अपने अधिकार"।

- मै एक लडकी हूँ

कानूनी सलाहकार समिति का गठन

27 फरवरी 2015 को मिटिंग की शुरूआत निर्देशिका सिस्टर रोसीली ने वकील ऋतू भार्गव की उपस्थिति में सदस्यो को बताया कि घरेलू कामकाजी को चोरी या काम की जगह पर किसी भी तरह की समस्या होती है तो उसके निवारण के लिये इस समिति का गठन किया गया है- ताकि घरेलू कामकाजी की सूझ-बूझ का विस्तार हो सके व मुफ्त में वकील से कानूनी सलाह ले सकें। बैठक में यह निष्कर्ष भी निकाला कि अगर किसी भी घरेलू कामकाजी को कोई समस्या आती है तो वे तुरन्त एनिमेटर को या यूनियन कार्यालय आकर सूचित करें ताकि समिति सदस्यों की सलाह के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सके, जिसकी मीटिंग हर महीने में आखरी शनिवार को रखे जाने का निर्णय लिया गया।

यूनियन महासभा का आयोजन

17 मार्च 2015 को 205 घरेलू कामकाजी महिलाओं के साथ संगठन व यूनियन की उपलब्धि पर परिचर्चा व यूनियन सदस्यों को यूनियन के लेखे-जोखे की जानकारी दी तथा 21 सदस्यों के चुनाव कर नयी कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया ताकि यूनियन से सम्बन्धित निर्णय 21 सदस्यो की सहमति से अन्य सदस्यो के हित मे लिये जाते है इसलिये इस वर्ष अलग -अलग स्थानीय सदस्यो को ऑफिस बेअर बनाने का निर्णय लिया गया ताकि यूनियन के निर्णय सभी महिला सदस्यें तक पहुँच सकें तत्पश्चात चुनाव की प्रकिया शुरू कर ऑफिस बेअर के चुनाव सफलता पूर्वक हुए।

संगठन से जुडी उपलब्धियाँ -

- ✓ घरेलू कामकाजी महिलाएँ बीते 9 वर्षो में इतनी सक्षम हो चुकी है कि वे अपने कार्य के महत्व को समझने लगी है व अपने अधिकारों के लिये जागरूक हुई है और सरकारी कार्यालय में जाकर अपने हक के लिये आवाज उठा रहीं है।
- ✓ "मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी कल्याण योजना" पर कई प्रयासो के बाद सरकारी राशन मिल पाया है।
- ✓ मार्च 2014 में जब भागवन्ती सांवले व अन्य 5 घरेलू कामकाजी महिला के झोनल ऑफिस में फार्म जमा करवाये तब इस योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा था तो महिला के परिवार के सदस्यो ने कहा कि अगर हम लेन देन करके यह फार्म जमा करवाते तो हमें जल्दी योजना का लाभ मिल पाता पर एनिमेटर के विश्वास ने व प्रयास के द्वारा बिना किसी बिचौलिये को पैसे दिये "मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी कल्याण योजना" पर 10000/- रूपये की डिलीवरी सहायता घरेलू कामकाजी महिला को मई 2015 को प्राप्त हुई।